फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री नारायणलाल पुत्र श्री पूरारामजी निवासी पोसालिया तहसील शिवगंज जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 16 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज के पत्र क्रमांक / सहायता / 2025 / 138 दिनांक 18.08.2025 में श्रीमान जिला नियंत्रक एवं जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा सिरोही के आदेश क्रमांक / नासु / सिरोही / 2025 / 301 दिनांक 14.08.2025 के आदेश की अनुपालना में नए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण के बाद चयनित आवेदकों की लिस्ट उपलब्ध करावें व चयनित किस आधार पर किया गया है और अपीलांट के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समस्त दस्तावेज व चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता के समस्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज के पत्र क्रमांक / सहायता / 2025 / 138 दिनांक 18.08.2025 में श्रीमान जिला नियंत्रक एवं जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा सिरोही के आदेश क्रमांक / नासु / सिरोही / 2025 / 301 दिनांक 14.08.2025 के आदेश की अनुपालना में नए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण के बाद चयनित आवेदकों की लिस्ट उपलब्ध करावें व चयनित किस आधार पर किया गया है और अपीलांट के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समस्त दस्तावेज व चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता के समस्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / लो.सु.अ. / रेकर्ड / 2026 / 69 दिनांक 04.02.2026 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	